



श्री पर्याय योजना



आजादी का
अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ14(514/44)/प्रमुखसं/2021/एफसीए/ 2476
निमित्त,

दिनांक : 12/07/2022

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय : Diversion of 466.592 ha. Forest land for Construction of New Green Field Airport kota, District-Bundi in the state of Rajasthan . (Proposal No.FP/RJ/Others/150590/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली के पत्रांक 8-05/2022-एफसी दिनांक 17.06.2022 से चाही गयी विन्दुओं की सूचना मुख्य वन संरक्षक कोटा ने पत्रांक 4303 दिनांक 11.07.2022 से पालना रिपोर्ट तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत की है, जो इस कार्यालय की सहमति के साथ निम्नानुसार प्रेषित है :-

S. No.	EDS raised by MoEF&CC New Delhi	Reply
1.	It has been informed that a High tension line of PGCIL is passing through the forest land proposed for diversion. In this regard, the status of approval under FCA, 1980 for the transmission line has not been intimated.	User agency PGCIL has received the prior approval from MoEF&CC for said transmission line under FCA, 1980. Copy of the Stage- I & II are enclosed. (Annex.-I)
2.	The No objection certificate (NoC) from PGCIL for shifting of Transmission line has not been submitted.	User agency has submitted No objection certificate from the PGCIL. Copy of the NoC is enclosed. (Annex.-II)
3.	In case the Power Grid Corporation of India Limited is ready to shift the transmission line, then the plan for shifting the existing transmission line is required to be submitted. The State Govt may also clarify whether any forest land would be required for the shifting of the transmission line or not?	According to User Agency 1. Power Grid Corporation of India Limited is ready to shift the transmission line and the Shifting plan has been prepared. 2. Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID) has prepared the shifting plan and forest land will be utilise for the proposed transmission line. Copy of the shifting plan are enclosed. (Annex.-III) 3. Separate Forest diversion proposal under FCA, 1980 will be initiated by PGCIL for Construction of Proposed Transmission Line (only for Shifting Portion) Demand letter of PGCIL for submission of forest diversion proposal is enclosed. This demand raised by PGCIL includes the cost of diversion of the said land. (Annex.-IV)
4.	The state govt has submitted the ownership status of the 33.408 hectare land, however nothing has been stated about the legal status of the land. The state govt shall	According to DCF Bundi, The Ownership of 33.408 ha land is recorded in the name of Urban Improvement Trust, Kota. A copy of the Jamabandi indicating the classification of

D:\Users\SKG\Desktop\updated Soft Copy of Green Field Airport Reply.docx 1

	ensure that the 33.08 area is not covered under the definition of forest for the purpose of FCA,1980.	land is attached . It is also confirmed that above mentioned land is not comes under any notified deemed forest (Annex.-V)
5.	In case the digital boundary of forest land is not correct, the state government shall ensure to get the same corrected and provide corrected boundaries to the FSI. An undertaking in this regard may be submitted.	According to DCF Bundi, Based on the available division digital Map the digital boundary of forest land is correct.
6.	A small pond is located near the Kota-Bundi National Highway it was informed that it will be preserved as such by the user agency and plantation shall be done around the pond area. In this regard the copy of the undertaking from the User Agency may be submitted.	User Agency has given undertaking to preserve small pond and do plantation around the pond by own cost. (Annex.-VI)
7	The Chief Wildlife warden of Rajasthan has informed that the areas proposed for diversion fall with in 7.2 km of Chambal Gharial Sanctuary. Since the ESZ of this sanctuary has not been notified, therefore the NBWL Clearance is applicable. Accordingly State Government shall ensure that the necessary clearance is obtained by the user agency.	According to DCF Bundi, User Agency informed that they have submitted online application for wildlife clearance under wildlife protection Act, 1972 and proposal is pending with State board of Wildlife (SBWL). Copy of the application are enclosed. (Annex.-VII)

रिपोर्ट अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

क्रमांक:एफ14(514/44)/प्रमुवसं/2021/एफसीए/
प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, कोटा को सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(डॉ. जी. एस. भारद्वाज)
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
नोडल ऑफिसर (एफसीए) राजस्थान,
जयपुर

दिनांक :

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
नोडल ऑफिसर (एफसीए) राजस्थान,
जयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक बून्दी

क्रमांक एफ()एफसीए/उवसं/2022/ 5581

दिनांक : 11/07/22

निमित्त:

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Subject: Diversion of 466.592 ha. Forest land for Construction of New Green Field Airport Kota, District- Bundi in the State of Rajasthan. Proposal No. FP/RJ/Others/150590/2021.

Ref: Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indira Paryavaran Bhawan, JorBagh Road, Aliganj, New Delhi File No. 8-05/2022-FC dated 17th June, 2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रस्तावित Diversion of 466.592 ha. Forest land for Construction of New Green Field Airport Kota, District- Bundi in the State of Rajasthan में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 17 जून 2022 की बिन्दुवार पालना प्रयोक्ता एंजेन्सी से संबंधित पालना कार्यालय में प्रेषित की है एवं इस कार्यालय से संबंधित पालना निम्नानुसार है जो आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है:-

Point wise Compliance Report is as following:

S. No.	EDS raised by MoEF&CC New Delhi	Reply
1.	It has been informed that a High tension line of PGCIL is passing through the forest land proposed for diversion. In this regard, the status of approval under FCA, 1980 for the transmission line has not been intimated.	According to user agency PGCIL has received the prior approval from MoEF&CC for said transmission line under FCA, 1980. Copy of the Stage- I & II are enclosed. (Annex-I)
2.	The No objection certificate (NoC) from PGCIL for shifting of Transmission line has not been submitted.	User Agency has submitted No objection certificate from the PGCIL. Copy of the NoC is enclosed. (Annex-II)
3.	In case the Power Grid Corporation of India Limited is ready to shift the transmission line, then the plan for shifting the existing transmission line is required to be submitted. The State Govt may also clarify whether any forest land would be required for the shifting of the transmission line or not?	According to User Agency 1. Power Grid Corporation of India Limited is ready to shift the transmission line and the Shifting plan has been prepared. Copy of the shifting plan are enclosed. (Annex-III) 2. Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID) has prepared the shifting plan and forest land will be utilise for the proposed transmission line. 3. Separate Forest diversion proposal under FCA, 1980 will be Initiated by PGCIL for Construction of Proposed Transmission Line (only for Shifting Portion) Demand letter of PGCIL for submission of forest diversion proposal is enclosed. This

raj

		demand raised by PGCIL includes the cost of diversion of the said land. (Annex.-IV)
4.	The state govt has submitted the ownership status of the 33.408 hectare land, however nothing has been stated about the legal status of the land. The state govt shall ensure that the 33.08 area is not covered under the definition of forest for the purpose of FCA,1980.	The Ownership of 33.408 ha land is recorded in the name of Urban Improvement Trust, Kota. A copy of the Jamabandi indicating the classification of land is attached . It is also confirmed that above mentioned land is not comes under any notified deemed forest (Annex.-V)
5.	In case the digital boundary of forest land is not correct, the state government shall ensure to get the same corrected and provide corrected boundaries to the FSI. An undertaking in this regard may be submitted.	Based on the available division digital Map the digital boundary of forest land is correct. This is also verified by undersigned.
6.	A small pond is located near the Kota-Bundi National Highway it was informed that it will be preserved as such by the user agency and plantation shall be done around the pond area. In this regard the copy of the undertaking from the User Agency may be submitted.	User Agency has given undertaking to preserve small pond and do plantation around the pond by own cost. (Annex.-VI)
7	The Chief Wildlife warden of Rajasthan has informed that the areas proposed for diversion fall with in 7.2 km of Chambal Gharial Sanctuary. Since the ESZ of this sanctuary has not been notified, therefore the NBWL Clearance is applicable. Accordingly State Government shall ensure that the necessary clearance is obtained by the user agency.	User Agency informed that they have submitted online application for wildlife clearance under wildlife protection Act, 1972 and proposal is pending with State board of Wildlife (SBWL). Copy of the application are enclosed. (Annex.-VII)

भवदीय

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(टी मोहनराज)
उप वन संरक्षक
बून्दी

क्रमांक एफ()एफसीए/उवसं/2022/

दिनांक :

प्रतिलिपि अतिप्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(टी मोहनराज)
उप वन संरक्षक
बून्दी

केन्द्रीय वन, वन्य जीव संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 226024
Kamlaya Bhawan, 3rd Floor, Sector H, Aligarh, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@teb(i)mail.com (Forest) goisnet@teb(i)mail.com

पत्र सं. डब्ल्यू/उत्पाद/04/02/2015/एफ.सी. 238

दिनांक: 10.06.2015

श्री. प्रमुख सचिव (वन)
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर।

विषय 400 किलोमीटर/सी आरएपीपी 7 एण्ड 8 कोटा ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु बूंदी वन मण्डल के अन्तर्गत 75.859 हे० (28.870 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 46.989 हे० संरक्षित वन भूमि) वन भूमि एवं कोटा वन मण्डल के अन्तर्गत 8.896 हे० आरक्षित वन भूमि इस प्रकार कुल 84.755 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक- 12.03.2015

सन्दर्भ

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक 401(83)वन/2014, दिनांक: 02.01.2015 का जवाब प्रदान करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विद्यार्थिता प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रस्ताव प्रकरण में प्रस्ताव को दिनांक 12.03.2015 को आरक्षित वन भूमि क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सरकारी स्वीकृति की मांगी जा चुकी थी। अनुपालना कर दी गयी है। अतः भूमि आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 400 किलोमीटर/सी आरएपीपी 7 एण्ड 8 कोटा ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु बूंदी वन मण्डल के अन्तर्गत 75.859 हे० (28.870 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 46.989 हे० संरक्षित वन भूमि) वन भूमि एवं कोटा वन मण्डल के अन्तर्गत 8.896 हे० आरक्षित वन भूमि इस प्रकार कुल 84.755 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं बूंदी वन मण्डल के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित 470 वृक्षों में से 95 वृक्षों के पातन एवं 375 वृक्षों की लोडिंग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. बूंदी वन मण्डल के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित वन क्षेत्र के दुगुने अवगत वन भूमि अर्थात् 151.718 हे० (75.859x2=151.718 ha.) पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. कोटा वन मण्डल के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित वन क्षेत्र के दुगुने अवगत वन भूमि अर्थात् 17.792 हे० (8.896x2=17.792 ha.) पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना लाईन के नीचे बीने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
5. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रवर्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या- 037100101025225, आई०एफ०एस० कोड-CORP0000371 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी कांप्लेक्स, में जमा की जाएगी।

Raj
(T. Moham Raj)
DCF, Bundi

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तंभ से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
7. विधिवत् स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4पीटर लंबे आर0सी0सी0 पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0पी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forword baring एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रि: सिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 508 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सर्गी निधिया प्रतिपूर्ति पीधारोपण निधि प्रवर्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स, फेज-1, लॉन्घी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुरक्षित परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

(अमित मिश्र)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालवा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राजस्थान को सूचनार्थ।
3. उप वन संरक्षक, बूंदी वन मण्डल, बूंदी, राजस्थान।
4. उप वन संरक्षक, कोटा वन मण्डल, कोटा, राजस्थान।
5. उप महाप्रबन्धक, पोवरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, उत्तरी क्षेत्र, 400/220 के0वी0 उपकेन्द्र, करणी माता मंदिर के पास, नान्दा, कोटा, राजस्थान।
6. कार्यपालक निदेशक, पोवरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, उत्तरी क्षेत्र-1, बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटकारिया सराय, नई दिल्ली-110016
7. श्री आनन्द कुमार, आर्किलिपिक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली।

(अमित मिश्र)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

(T. Mohan Raj)
DCF, Bundi

उप महाप्रबन्धक
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
उत्तरी क्षेत्र-1, 400/220 के.वी.उप केन्द्र
करणगी माता मन्दिर के पास
नान्ता जिला कोटा (राज0)-324008

विषय :- 400 के.वी.डी./सी.आर.ए.पी.पी.7 एण्ड 8 कोटा ट्रान्समिशन लाईन
के निर्माण हेतु बून्दी वन मण्डल के अन्तर्गत 75.859 है० (28.870
है० आरक्षित वन भूमि एवं 46.989 है० संरक्षित वन भूमि) एवं कोटा
वन मण्डल के अन्तर्गत 8.896 है० आरक्षित वन भूमि इस प्रकार
कुल 84.755 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन।


प्रसंग :- उप वन संरक्षक, कोटा का पत्र क्रमांक एफ()तक./
उवस/2015-16/3857 दिनांक 18.02.2016

महोदय,

प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि उप वन
संरक्षक, (केन्द्रीय)भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय
कार्यालय (मध्य) के पत्रांक 8 बी/राज./04/02/2015/एफ.सी./1030 दिनांक
03.12.2015 एवं प्रमुख सचिव (सिविल सचिवालय) राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक
एफआई-83/फोरेस्ट/2014/जयपुर दिनांक 18.01.2016 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम
1980 के अन्तर्गत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी की गई है।

अतः आप भारत सरकार द्वारा जारी विधिवत स्वीकृति की बिन्दुवार
पालना कर पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक कोटा को प्रस्तुत करें, ताकि पालना रिपोर्ट
उच्च कार्यालय को भिजवाई जा सके।

भवदीय


(जयकिशन जाट)


उप वन संरक्षक (प्रशासन)
कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक: एफ13(वन संरक्षण)/संमुवसं/2015-16/

दिनांक :-

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक कोटा को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप महाप्रबन्धक (कोटा)


03/2/16

है०

(जयकिशन जाट)

उप वन संरक्षक (प्रशासन)
कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा


(T. Mohan Raj)
DCF, Bundi

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:- डायवर्जन ऑफ टोटल 84.755 हे० ऑफ फॉरेस्ट लैण्ड (15.859 हे०
ऑफ बूंदी एण्ड 8.896 हे० ऑफ कोटा) फॉर 400 के.पी. डी/सी
आरएपीपी 7 एण्ड 8 - कोटा ट्रांसमिशन लाईन इन फेजर ऑफ
पीजीसीआईएल।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप वन संरक्षक(केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या: 8 बी/राज/04/02/2015/
एफसी/1030 दि. 3.12.15 एंड शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक एफ
1 (83) वन/2014 दिनांक 18.1.16 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 84.755 हेक्टर
वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं वनमण्डल बूंदी के अन्तर्गत कुल प्रभावित 470 वृक्षों में से 95 वृक्षों के
पातन एवं 375 वृक्षों की लोपिंग हेतु कुछ शर्ताधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान की है। अतः
निम्नांकित शर्ताधीन सम्बन्धित विभाग/संस्था को वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावे।
साथ ही पालना प्रतिवेदन एवं मोनेटरिंग रिपोर्ट भिजवाई जाए-

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्रों में अंकित समस्त शर्तों की कड़ाई
से पालना की जावे।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिरक्षित शर्तों की पालना का प्रबंधन
निरंतर किया जावे।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर
संघारित किया जावे।

भवदीय,

संलग्न:-उक्तानुसार।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 14(पीजीसीआईएल)2014/एफसीए/प्रमुवसं/ 310-313 दिनांक: 09/02/2016
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को भारत सरकार/राज्य सरकार के उक्त पत्रों की प्रतियां सहित सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 1 (83) वन/2014
दिनांक 18.1.16 के क्रम में।
2. उप वन संरक्षक, कोटा/बूंदी को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के साथ-साथ
स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें-
(i) मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में
सूचना संघारित की जावे।
3. उप महाप्रबंधक, पौधरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, उत्तरी क्षेत्र, 400/220 के.पी.
उपकेन्द्र, करणी माता नॉदर के पास, नान्दा, कोटा।

संलग्न:-उक्तानुसार।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.
राजस्थान, जयपुर।

मुख्य प्रबंधक (कार्य)

09/02/16

राज
(T. Mohan Raj)
D/F, Bundli

E:/Office documents/ final print



पत्र सं० 8वीं/राज०/04/02/2015/एफ सी / 1030

दिनांक 31/12/15

सेवा में

प्रमुख सचिव (वन),
 सिविल सचिवालय,
 राजस्थान शासन जयपुर।

विषय : 400 कोटी 0 डी/सी आरएपीपी 7 एण्ड 8 कोटा ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु बूंदी वन मण्डल के अन्तर्गत 75859 हे० (28.870 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 46989 हे० संरक्षित वन भूमि) वन भूमि एवं कोटा वन मण्डल के अन्तर्गत 8896 हे० आरक्षित वन भूमि इस प्रकार कुल 84755 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

संदर्भ-अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्रांक- एफ14(पी0जी0सी0आई0एल0)2014/वसु/प्रमवस/6374
 दिनांक-06.10.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(83)वन/2014 दिनांक 02.01.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधायित्व प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसामयिक पत्र दिनांक 16.08.2015 द्वारा सौभाग्यवत् स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसकी अनुपालना आख्या अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 400 कोटी 0 डी/सी आरएपीपी 7 एण्ड 8 कोटा ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु बूंदी वन मण्डल के अन्तर्गत 75859 हे० (28.870 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 46.989 हे० संरक्षित वन भूमि) वन भूमि एवं कोटा वन मण्डल के अन्तर्गत 8896 हे० आरक्षित वन भूमि इस प्रकार कुल 84755 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं बूंदी वन मण्डल के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित 470 हे० वन भूमि के प्राप्ति एवं 375 हे० वन भूमि की लीजिंग की विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. बूंदी वन मण्डल के अन्तर्गत प्रयोक्ता अतिक्रमण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के दूग्ध अन्तर्गत वन भूमि अर्थात् 151.718 हे० (75.859x2 151.718 ha.) पर दलितपूर्वक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
3. कोटा वन मण्डल के अन्तर्गत प्रयोक्ता अतिक्रमण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के दूग्ध अन्तर्गत वन भूमि अर्थात् 17792 हे० (8.896x2 17.792 ha.) पर दलितपूर्वक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
4. प्रयोक्ता अतिक्रमण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित पारोपण लाईन के नीचे बौने पीछों (मुख्यतः जीषकीय पौधों) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
5. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दृष्टि में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अतिक्रमण द्वारा एनपीपी की बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(T. Mohan Raj)
 DCF, Bundi

6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की जनसंख्याओं एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
7. प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अतिक्रमण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसायन / विषाक्त तैल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
9. प्रयोक्ता अतिक्रमण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जायेगा।
10. प्रस्तावित वन-भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन-भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर कटाने एवं गरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
11. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अतिक्रमण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट उंचे आस-सी0सी0 पीलर द्वारा किया जाएगा। विरामे प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, सी0सी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अतिक्रमण को विधिकत स्वीकृति जारी होने के त्तिन माह के भीतर पूरा करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।
12. प्रयोक्ता अतिक्रमण को (यदि आवश्यक हो) उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
13. प्रयोक्ता अतिक्रमण एवं राज्य सरकार, वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, पत्रावल, तथा विभिन्न निर्देशों का पालन करेगी।
14. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असातोपजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(अमित मिश्र)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अतिरिक्त वन-महानिदेशक एफ.सी. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक, आर0ओ0एच0क्यू0, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं जोडल अधिकारी, (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, ज्ञानपीठ इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राजस्थान-302005 को सूचनार्थ।
4. उप वन संरक्षक, दूरी वन मण्डल, नूदी, राजस्थान।
5. उप वन संरक्षक, कोटा वन मण्डल, कोटा, राजस्थान।
6. उप महाप्रबन्धक, पॉवरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, उत्तरी क्षेत्र, 800/220 कौवी0 उपकरण, करणी माता मंदिर के पास, गान्गा, कोटा, राजस्थान।
7. कार्यालय निदेशक, पॉवरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, उत्तरी क्षेत्र 1, वी 9, कुपुब इस्टीर्युशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 16
8. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
9. आदेश पत्रावली।

(अमित मिश्र)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

Ray
(T. Mohan Ray)
DIF, Bundi

DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(83) Forest/2014

Jaipur, dated 18 JAN 2016

ORDER

Ministry of Environment, Forest & Climate Change, GOI Regional Office, Lucknow vide letter No. F.No. 8B/Raj/04/02/2015/FC/1030 dated 03.12.2015 has conveyed its approval for diversion of 84.755 hectare forest land (75.859 ha. forest land (28.870 ha. Reserve forest land and 46.989 ha. Of protected forest land) in Bundi forest division & 8.896 ha. Reserve forest land Kota forest division) and felling of 95 trees & lopping of 375 trees in district Bundi for laying of Transmission Line up to 400 kv. D/C RAPP 7 & 8 Kota Transmission Line in the state of Rajasthan. In pursuance of the above clearance by Govt. of India, State Government hereby accords approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act 1980 with the following conditions:-

166/c

5698
25/1/16

1. The conditions imposed by MoEF&CC, Govt. of India in their approved for this in all 84.755 ha. Forest land and forest clearance date 03.12.2015 will be complied with by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed on the website by State Forest Department as well as by MoEF&CC, Govt.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forestry purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponent to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

22/1/16

1/2
22/1/16

Sd/-
(Yogendra Kumar Dak)
Secretary, Forests

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhawan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003 with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF&CC website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aranya Bhawan, Jaipur - to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Kota
8. Deputy Conservator of Forests, Bundi/ Kota.
9. Dy. Manager T/L Power Grid Corporation of India Ltd. NR-1 Kota- 324009.
10. Order file.

Sd/-
(Kumar Swarni Gupta)
Officer on Special Duty - Forests

Sd/-
(T. Mohan Raj)
DCP, Bundi

संदर्भ सं: उ.शं.-1/पावरग्रिड कोटा/2022 - 23 /50

दिनांक : 26.05.2022

✓ सचिव,
नगर विकास न्यास, कोटा ।

2. प्रभारी अधिकारी,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
कोटा हवाई अड्डा, कोटा - 324 007.

विषय: कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट में आ रही ई.एच.वी. पावर लाइनों को शिफ्ट करने हेतु :- डिमांड नोट की राशि के इंटिमेंशन व जमा करने के संदर्भ में ।

संदर्भ :

1. लैटर रेफ. नं.- एफ-5/तहसील/2021/2797, दिनांक 02/12/2021
2. This office letter reference no. उ.शं. -1/पावरग्रिड कोटा/2021 - 22 /2009, dated 30.12.2021.
3. लैटर रेफ. नं. एफ -15/कू0भू0र0/2022/230, दिनांक 29/03/2022.
4. आपके लैटर रेफ.नं. : भाविप्रा/कोटा/नवीन एयरपोर्ट/22/150, दिनांक 26.03.2022.
5. लैटर रेफ. नं - एफ-1/सामन्या/2022/2443-45, दिनांक 25/03/2022

महोदय,
उपरोक्त विषय व संदर्भ को संग्रहण में लेते हुए, ई.एच.वी. पावर लाइनों को शिफ्ट करने के लिए, अनुमानित खर्च का विवरण निम्नवत है :

कार्य का नाम	कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट में आ रही ई.एच.वी. पावर लाइनों को शिफ्ट करने हेतु सर्वे
प्रस्तावित लाइनों के नाम	400 के.वी. आर.ए.पी.पी (डी) - कोटा - जयपुर राज्य ट्रान्समिशन लाइन
अनुमानित राशि	₹ 54,78,15,921/- जी.एस.टी.सहित (ब्रेकअप अनेक्स्सर-1)

अतः यह कार्यालय, आपके कार्यालय से उपरोक्त अमाउंट (जी.एस.टी. सहित) को, इस कार्यालय के निम्नलिखित अकाउंट में ऑनलाइन जमा करने का निवेदन करता है । पावरग्रिड अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका निम्नवत है ।

1. इस लिंक पर जाए <https://opav.powergrid.in/PGPYMTGW/pvmthomecustomer.html>
2. पेमेंट कैटेगरी व सब कैटेगरी में "Consultancy" का चयन करे ।
3. डिपोजिट अमाउंट को भरे ।
4. डिपोजिटर का नाम भरे जैसे "UIT, Kota"
5. डिपोजिटर का मोबाईल नं. व मेल आई.डी भरे ।
6. अधिक जानकारी के लिए जानकारी दे जैसे कि " Transmission Line diversion work Charges due to upcoming greenfield airport in Kota" ।

इस प्रक्रिया से प्राप्त रीफरेंस नं. को इस कार्यालय में वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना होगा ।

कृपया ध्यान रहे, कार्य में खर्च होने वाला ऊपर लिखित अमाउंट (जी.एस.टी. सहित) अनुमानित है । वास्तविक खर्च कार्य के समाप्त होने पर ही फाइनल किया जाएगा ।

(Handwritten signature)
12/5/22


उपकेन्द्र : 400/220 के.वी. उपकेन्द्र, कंपनी मरुा मंदिर के पास, भाग्या, कोटा (राज.) - 324008, दूरभाष : 08003198303

Sub-Station : 400/220 K.V. Sub-Station, Near Karni Mata Mandir, Nanta, Kota (Raj.) - 324008, Tel. : 08003198303

पंजीकृत कार्यालय : सी-9, कूटब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवाशिया चाराय, नई दिल्ली-110 016 दूरभाष : 26560112, 26560121, 26564812, 26564892 फीक्स : 1401010119890038121
Registered Office : B-9, Outab (Institutional Area), Katwaria Sarai, New Delhi-110 016 दूरभाष : 26560112, 26560121, 26564812, 26564892. CM : 1401010119890038121
Website : www.powergrid.in

(Handwritten signature)
कोटा हवाई अड्डा,
कोटा Airport, Kota


(Handwritten signature)
(T. Mohan Raj)
DCF, Bundi


(टी. मोहन राज)

स. उप महाप्रबंधक, कोटा


प्रतिलिपि :

1. मुख्य महाप्रबंधक (ए.एम.), उ.स. 1, फरिदाबाद, विनम्र जानकारी हेतु।
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक, जयपुर, विनम्र जानकारी हेतु।



विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota


(T. Mohan Raj)
DCF, Bundi



S. P. Singh
 Airport Director
 Airport Authority of India
 Jaipur

Raji
 (T. Mohan Raj)
 DCF, Bundi

Name of Diversion Work: Diversion of 400 kV RAPP D - Kota - Jaipur South / RAPP D - Jaipur South Transmission Line in view of Proposed New Green Field Airport, Kota.

Abstract			
Part	Ref	DESCRIPTION	Amount in ₹
Part I	A	Vendor Cost	
		Route Alignment	₹ 1,70,388.90
		Detailed survey including profiling using modern survey techniques	₹ 3,12,379.65
		Supply cost	₹ 22,15,15,787.49
		Freight & Insurance charges (F&I)	₹ 88,60,631.50
		OPGW supply	₹ 24,29,942.32
		OPGW F&I	₹ 97,197.69
		Service Cost (including Destraining & Dismantling)	₹ 8,29,41,789.81
		OPGW erection	₹ 48,305.16
		Sub-total	₹ 31,63,76,422.52
	B	ROW cost (Crop/Tree/Land & other Compensation)	₹ 7,25,39,600.00
C	Total (A+B)	₹ 38,89,16,022.52	
D	GST @ 18% on C	₹ 7,00,04,884.05	
E	Total cost for outside procurement (C+D)	₹ 45,89,20,906.58	
Part II	F	POWERGRID consultancy Charges @ 15% on E	₹ 6,88,38,135.99
	G	Compensation due to loss of availability	₹ 64,96,622.11
	H	Total(F+G)	₹ 7,53,34,758.10
	I	GST @ 18% on H	₹ 1,35,60,256.46
	J	Total cost for internal services (H+I)	₹ 8,88,95,014.56
	K	Total Cost (E+J)	₹ 54,78,15,921.13

S. S. S.

विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota

M. K.

Raj
(T. Mohan Raj)
D/F, Bundi

Anex- IV

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- बालापुरा

अंतिम चोसला आधार संवत् :- 2076 - 2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में
स्थायी

पटवार हल्का :- केपुदा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अधि.नि. :- बल्लोप

क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर

तहसील :- मालेड़ा

खाता संख्या नया :- 103

जिला :- बूँदी

खाता संख्या पुराना :- 97

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संख्या के लिए.

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	दिनांक
201	13.8240	गे.मु.पठार	13.8240			
203	19.6920	गे.मु.पठार	19.6920			
205	10.5866	गे.मु.पठार	10.5866			
247/181	0.9065	गे.मु.पठार	0.9065			
249/193	0.2266	गे.मु.पठार	0.2266			
251/194	6.0136	गे.मु.पठार	6.0136			
259/200	3.5289	गे.मु.पठार	3.5289			
260/202	17.9923	गे.मु.पठार	17.9923			
263/204	12.1082	गे.मु.पठार	12.1082			
265/206	0.2023	गे.मु.पठार	0.2023			
271/210	0.3237	गे.मु.पठार	0.3237			
273/211	8.1099	गे.मु.पठार	8.1099			
कुल खसरे - 12	93.5146		93.5146			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 3-Dec-2021



Sarabhai

विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota

2/28



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

फॉर्म पी-26 (सी)
(केबिपे नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- देवरिया

बीना सीमा आधार संवत् :- 2076 - 2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में
स्थापी

पटवार हज्जा :- तायाव वस्था

भूमि चारख का नाम :- राज, सरकार

भू.अधि.नि. :- यरुथान

क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टर

सहस्रीय :- भावेडा

खाना संख्या नया :- 259

जिन्ना :- बुंदी

खाना संख्या पुराना :- 243

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हिम्मा- पूर्ण संख्या के लिए,

खाना संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	पुस्तक द्वारा संदभ जमान	विभाई के साधन	अन्वरण के क्रम में प्रमाणित सामान्यकरण संख्या व दिनांक	रिजिस्ट्री
1633	16.6002	गे.मु.बर्डी	16.6002			
1634	33.1761	बंजड	33.1761	13.27		
1635/2023	0.8013	गे.मु.राम्ना	0.8013			
1660/2024	2.2662	गे.मु.बर्डी	2.2662			
1661	0.0809	गे.मु.राम्ना	0.0809			
1662	0.4532	गे.मु.बाडा	0.4532			
1663	51.7268	बंजड	51.7268	20.69		
1664	15.7422	बंजड	15.7422	6.30		
1665	26.1993	बंजड	26.1993	10.48		
1666	32.7552	बंजड	32.7552	13.10		
1667	0.0486	गे.मु.राम्ना	0.0486			
1668	0.4290	बंजड	0.4290	0.17		
1669	0.0567	गे.मु.राम्ना	0.0567			
1670	1.4083	बंजड	1.4083	0.56		
1671	0.1052	गे.मु.राम्ना	0.1052			
1672/2025	11.2341	बंजड	11.2341	4.49		
1675/2026	0.0162	गे.मु.खिलियान	0.0162			
1687/2027	0.1862	गे.मु.आवादी	0.1862			
1688/2028	0.0162	बंजड	0.0162	0.01		
1689	0.0405	गे.मु.खिलियान	0.0405			
1690/2029	9.5829	बंजड	9.5829	3.83		
1691	0.5666	गे.मु.भद्रक	0.5666			
1692/2030	2.2015	बंजड	2.2015	0.88		
1693/2031	2.6709	बंजड	2.6709	1.07		
1912/2032	0.0567	बंजड	0.0567	0.02		
1917/2033	0.1214	बंजड	0.1214	0.05		
1918	2.3067	बंजड	2.3067	0.92		
1919	0.4209	गे.मु.भद्रक	0.4209			
1920/2034	26.2722	बंजड	26.2722	10.51		
1921/1988	0.0162	गे.मु.राम्ना	0.0162			
1925/2035	25.1876	बंजड	25.1876	10.08		
1926/1973	8.0937	बंजड	8.0937	3.24		
1928/1988	0.2509	गे.मु.राम्ना	0.2509			

Sharma

विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota

Sharma



जमावर्की (खेवट/खसोनी)
(प्रतिलिपि)

पत्र सं. पी-26 (पी)
(क्षेत्रिय नियम 183 ए)

पत्र सं. नाम :- देवविद्या

अंतिम जमावर्की अवधि सम्बन्ध :- 2076 - 2076 जमावर्की 2076 (वर्ष 2019) में
स्थायी

परिवार हस्ता :- गजानन बग्घा

जमीन धारक का नाम :- राज, सरकार

भू.अभि.वि. :- बग्घा

खेवट/खसोनी की संख्या :- 259

सहकारी :- साधोदा

धारा संख्या :- 259

जिला :- मुंबई

जमावर्की संख्या :- 243

1929/1981	4.0460	बग्घा	4.0460	1.02
809/2010	0.2428	मे.मु.खाल	0.2428	
810/2011	1.2545	मे.मु.खाल	1.2545	
814/2012	0.3318	बग्घा	0.3318	0.13
815/2013	3.7959	बग्घा	3.7959	1.52
823/2014	3.6179	बग्घा	3.6179	1.45
824	0.9389	मे.मु.खाल	0.9389	
825/2015	5.2609	बग्घा	5.2609	2.10
847/2016	2.9461	बग्घा	2.9461	1.18
848	17.1020	बग्घा	17.1020	6.84
849/2017	12.7880	बग्घा	12.7880	5.12
850	12.0030	बग्घा	12.0030	4.80
851/2018	3.1242	मे.मु.खाल	3.1242	
852/2019	3.7069	बग्घा	3.7069	1.48
854/2020	2.7033	बग्घा	2.7033	1.08
कुल प्रचुर - 48	344.9537		344.9537	126.9800

यह प्रचुर केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में वादी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नफल जारी करने की तिथि :- 3-Dec-2021



Sandra

विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota

Jay



जमावन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- केथुदा
पटवार हल्का :- केथुदा
मु.अभि.ति. :- बल्लोप
नहरील :- तानेडा
जिला :- बुंदी

अंतिम जमावत आधार संख्या :- 2076 - 2076 जमावती 2076 (वर्ष 2019) में स्वर्गी
भूमि धारक का नाम :- राज, सरवर
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
घाता संख्या नया :- 297
घाता संख्या पुराना :- 1

कार्यकार का नाम:-

1. नगर विकास न्याय कोटा हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खमरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदात लगान	सिंचाई के साधन	अन्तर्गत के ग्राम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	0.4937	गे.मु.नाला	0.4937		स्वीकृत नामान्तरकरण : 1022 11/02/2020 न्याया, आदेश	
113	0.2023	गे.मु.नाला	0.2023			
125	0.3723	गे.मु.नाला	0.3723			
13	0.2509	गे.मु.रास्ता	0.2509			
14	0.8579	बंजड़	0.8579	0.51		
144	0.9227	बंजड़	0.9227	0.55		
158	0.4371	गे.मु.नाला	0.4371			
16	0.1457	नहरी II	0.1457	0.36		
17	0.1214	बारानी 3	0.1214	0.10		
177	0.3723	गे.मु.रास्ता	0.3723			
179	0.0728	गे.मु.नाला	0.0728			
204/579	0.1214	नहरी II	0.1214	0.30		
207	0.6475	नहरी II	0.6475	1.62		
21	0.1862	बंजड़	0.1862	0.11		
217	1.9830	गे.मु.पटार	1.9830			
217/582	0.2185	नहरी II	0.2185	0.55		
217/583	0.2185	नहरी II	0.2185	0.55		
217/585	0.0567	बारानी 3	0.0567	0.05		
22	0.1862	गे.मु.रास्ता	0.1862			
221/586	0.0081	गे.मु.चाह	0.0081			
222	0.5666	बारानी 3	0.5666	0.45		
223/587	0.0567	गे.मु.मकान	0.0567			
224	13.0956	गे.मु.पटार	13.0956			
23	0.3318	नहरी II	0.3318	0.83		
233	0.3966	गे.मु.पाल	0.3966			
234	0.8417	बंजड़	0.8417	0.51		
237	0.7446	बंजड़	0.7446	0.45		
237/588	0.3480	बारानी 3	0.3480	0.28		
237/590	0.1295	बंजड़	0.1295	0.08		
241	0.5666	बंजड़	0.5666	0.34		
251	0.1295	गे.मु.नाला	0.1295			
256	0.1376	गे.मु.नाला	0.1376			
273	0.1214	गे.मु.पाल	0.1214			

Ray

Sarika

दिमादप्रबन्ध निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota



जमावन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(रेगिस्ट्रेशन नियम 163 ए)

ग्राम का नाम :- केवट
पटवार हान्का :- केवट
भू.अभि.नि. :- बल्लोण
तहसील :- नागेश
जिला :- बूंदी

अंतिम बीमता काधार संभव :- 2076 - 2076 जमावन्दी 2076 (वर्ष 2019) में म्यादी
भूमि धारक का नाम :- राज.मण्डार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हिक्टेयर
खाता संख्या तथा :- 297
खाता संख्या पुराना :- 1

280	0.0405	बागनी A	0.0405	0.06
281	0.0405	बंजड़	0.0405	0.02
297	0.0728	गे.मु.रान्ता	0.0728	
313	0.3237	बंजड़	0.3237	0.19
315	0.7042	गे.मु.नहर	0.7042	
318	0.5666	गे.मु.नहर	0.5666	
329/598	1.1979	बारानी 3	1.1979	0.96
331/596	1.0360	बारानी 3	1.0360	0.83
332/597	0.0081	गे.मु.चाह	0.0081	
340	0.0162	गे.मु.बाड़ा	0.0162	
341	0.0324	गे.मु.मकान	0.0324	
343	0.2509	गे.मु.रान्ता	0.2509	
344	0.0486	बंजड़	0.0486	0.03
346	0.1214	गे.मु.बाड़ा	0.1214	
347	0.0162	गे.मु.बाड़ा	0.0162	
361	0.2347	बागनी 3	0.2347	0.19
362	0.2023	बंजड़	0.2023	0.12
366	0.5261	बागनी 3	0.5261	0.42
370	0.1214	बंजड़	0.1214	0.07
372	0.2509	बंजड़	0.2509	0.15
373	0.2995	गे.मु.रान्ता	0.2995	
380	0.1538	बारानी 3	0.1538	0.12
381	0.1133	बारानी 3	0.1133	0.09
383	0.0486	बंजड़	0.0486	0.03
384	0.0809	गे.मु.रान्ता	0.0809	
39	0.0809	नहरी II	0.0809	0.20
391	0.1295	गे.मु.रान्ता	0.1295	
400	0.1619	बंजड़	0.1619	0.10
409	0.2266	बंजड़	0.2266	0.14
428	0.2914	बंजड़	0.2914	0.17
429	0.0486	बागनी 3	0.0486	0.04
438	0.2104	बंजड़	0.2104	0.13
440	3.4074	चरागाह	3.4074	
440/613	0.8498	चरागाह	0.8498	
441	8.1584	चरागाह	8.1584	
442	9.3078	चरागाह	9.3078	
443	5.5442	चरागाह	5.5442	
446	3.1242	बंजड़	3.1242	1.87

Ray

Signature
विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा
Kota Airport, Kota



जमावन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)


प्रपत्र पी-26 (सी)
(वेधिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- केवुदा
पटवार हल्का :- केवुदा
भू.अभि.नि. :- बल्लोप
तहसील :- तालेडा
जिला :- बूंदी

अंतिम बोगला आधार संवत् :- 2076 - 2076 जमावन्दी 2076 (वर्ष 2019) में म्यारी
भूमि धारक का नाम :- राज.सम्कार
खेवफल की ईकाई :- हैफ्टेयर
घाता संख्या नया :- 297
घाता संख्या पुराना :- 1

45	0.2023	बंजड़	0.2023	0.12
450	0.8417	गे.मु.तलाई	0.8417	
451	0.7284	गे.मु.पाल	0.7284	
452	1.1736	बंजड़	1.1736	0.70
453	0.0081	गे.मु.वाडा	0.0081	
455	0.0162	गे.मु.वाडा	0.0162	
457	0.0162	गे.मु.वाडा	0.0162	
458	0.0081	गे.मु.वाडा	0.0081	
460	1.5540	बंजड़	1.5540	0.93
462	0.0405	घारानी 3	0.0405	0.03
463	0.0162	गे.मु.वाडा	0.0162	
464	0.0567	गे.मु.वाडा	0.0567	
465	0.0162	गे.मु.वाडा	0.0162	
466	0.0324	गे.मु.वाडा	0.0324	
467	0.0324	गे.मु.वाडा	0.0324	
468	0.3480	गे.मु.रेवडी	0.3480	
47	0.3723	बंजड़	0.3723	0.22
470	0.0647	गे.मु.रेवडी	0.0647	
472	0.0567	गे.मु.वाडा	0.0567	
480	0.0809	गे.मु.वाडा	0.0809	
487	0.4937	बंजड़	0.4937	0.30
490	0.0486	गे.मु.खलियान	0.0486	
491	0.0162	गे.मु.खलियान	0.0162	
492	0.0243	गे.मु.खलियान	0.0243	
499	0.1052	गे.मु.रास्ता	0.1052	
5	1.1979	बंजड़	1.1979	0.72
50	0.4775	गे.मु.ताला	0.4775	
501	0.0243	गे.मु.वाडा	0.0243	
502	0.0405	गे.मु.वाडा	0.0405	
503	0.2023	बंजड़	0.2023	0.12
506/623	0.2671	घारानी 3	0.2671	0.21
507	0.0486	घारानी 3	0.0486	0.04
517	1.4164	गे.मु.पठार	1.4164	
524	1.3678	गे.मु.पठार	1.3678	
531	1.1169	बंजड़	1.1169	0.67
532	2.4038	बंजड़	2.4038	1.44
533/624	0.0081	गे.मु.चाह	0.0081	
534	0.6799	गे.मु.पाल	0.6799	

2019


विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन निदेशक
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा
Kota Airport, R...



जगावन्धी (खेचर/खतीनी)
(प्रतिलिपि)

प्रथम पी-26 (पी)
(विक्रिये नियम 163 ए)

ग्राम का नाम :- केसुवा
पर्यार हल्का :- केसुवा
मु.अ.वि.सि. :- मल्पोथ
तहसील :- मालेहा
जिल्हा :- पूर्वी

अंतिम खीसना आकार नमून :- 2076 - 2076 जगावन्धी 2076 (वर्ग 2010) में स्थानी
सुमि खीसना का नमून :- राज.परमाणु
खेचर/खतीनी :- खीसना
आकार संख्या नमून :- 207
आकार संख्या पुराना :- 1

537	0.2105	भारती 2	0.2105	0.24
542	1.0616	मे.मु.खतीनी	1.0616	
543	17.7495	भरगाह	17.7495	
543/032	0.2095	भरगाह	0.2095	
548	16.2117	भरगाह	16.2117	
552	12.3267	भरगाह	12.3267	
553	0.8490	मे.मु.खतीनी	0.8490	
554	4.0400	भरगाह	4.0400	
556	0.1457	मे.मु.पठार	0.1457	
534/2	0.2752	खेचर	0.2752	0.17
609/38	0.3581	खेचर	0.3581	0.21
609/54	0.1376	भारती 3	0.1376	0.11
676/58	0.2509	खेचर	0.2509	0.15
676/332	0.0728	भारती 2	0.0728	0.18
680/88	0.7284	खेचर	0.7284	0.44
689/135	0.1619	खीस	0.1619	0.15
701/142	0.0971	खीस	0.0971	0.09
711/174	0.0405	मे.मु.नासा	0.0405	
714/203	1.1169	तहसील II	1.1169	2.70
717/204	0.4452	खीस	0.4452	0.40
718/204	1.7725	खेचर	1.7725	1.06
721/219	9.4130	मे.मु.पठार	9.4130	
728/221	1.8049	भारती 3	1.8049	1.44
728/223	7.2924	मे.मु.पठार	7.2924	
730/225	4.7510	मे.मु.पठार	4.7510	
732/229	5.0586	मे.मु.पठार	5.0586	
735/230	8.0451	मे.मु.पठार	8.0451	
738/231	10.1738	मे.मु.पठार	10.1738	
74	1.5702	मे.मु.नासा	1.5702	
747/247	4.5082	मे.मु.पठार	4.5082	
761/314	1.1655	मे.मु.रास्ता	1.1655	
763/318	4.0954	खेचर	4.0954	2.46
769/329	2.7357	खेचर	2.7357	1.64
774/331	0.0081	खेचर	0.0081	0.00
778/334	3.6745	खेचर	3.6745	2.20
785/385	0.0728	खेचर	0.0728	0.04
796/345	0.0567	मे.मु.माडा	0.0567	
804/387	2.4362	खेचर	2.4362	1.46

श.म.332/

Handwritten signature/initials

Handwritten signature
विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-28 (गी)
(द्विचिपे नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- केथुदा
पटवार हान्यता :- केथुदा
भू.अभि.नि. :- बल्लोप
तहसील :- नावेंडा
जिला :- बूँदी

अंतिम बीगला आधार सम्वत् :- 2076 - 2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज, मरफार
क्षेत्रफल की ईकाई :- द्विपटेयर
खाना संख्या सफा :- 297
खाना संख्या पुराना :- 1

810/374	1.1088	खेवट	1.1088	0.67
814/382	0.1376	खारानी 3	0.1376	0.11
821/448	2.1044	गे.मु.पठार	2.1044	
824/449	2.5576	गे.मु.पठार	2.5576	
827/475	0.3642	खेवट	0.3642	0.22
830/489	1.1331	खेवट	1.1331	0.88
840/529	0.0081	खेवट	0.0081	0.00
843/533	4.3787	खेवट	4.3787	2.63
845/544	0.6232	गे.मु.पठार	0.6232	
847/546	0.1376	गे.मु.गस्ता	0.1376	
849/547	11.1450	गे.मु.पठार	11.1450	
851/548	7.1225	गे.मु.पठार	7.1225	
853/549	2.3067	गे.मु.पठार	2.3067	
855/550	0.2509	गे.मु.पठार	0.2509	
857/565	0.0728	गे.मु.गस्ता	0.0728	
859/570	0.5908	गे.मु.पठार	0.5908	
863/580	0.5099	नहरी II	0.5099	1.27
865/581	1.0522	खारानी 3	1.0522	0.84
871/601	0.7284	खारानी 3	0.7284	0.58
875/506	0.2347	खारानी 3	0.2347	0.47
879/628	0.2023	खारानी 3	0.2023	0.16
884/830	0.3237	खारानी 3	0.3237	0.28
887/831	0.5099	खारानी 2	0.5099	0.56
908/756	0.7851	खेवट	0.7851	0.47
950/832	0.1619	खेवट	0.1619	0.10
951/832	7.3086	खेवट	7.3086	4.39
97	0.3399	खेवट	0.3399	0.20

सा.न.513

कुल खसरे - 174 252.0135 252.0135 47.9100

यह प्रपत्र केवल प्राची की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय से साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

मकल जारी करने की तिथि :- 3-Dec-2021



Sandera
विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota

Ray



जमावन्दी (खेचट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- केथुदा
पटवार इत्या :- केथुदा
शु.अभि.नि. :- बल्लोण
तहसील :- तानेडा
जिला :- बुंदी

अंतिम चोमका आधार संवत् :- 2076 - 2076 जमावन्दी 2076 (वर्ष 2019) में म्गवी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टर
माना संख्या तथा :- 291
खाता संख्या पुराना :- 286

काश्तकार का नाम:-

1. महकमा वन विभाग हिंसा- पूर्ण संख्या के लिए.

संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदस लगान	सिंचाई के साधन अन्तर्ण के ग्राम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
226	9.5587	गे.मु.पठार	9.5587		
227	12.6505	गे.मु.पठार	12.6505		
228	9.8258	गे.मु.पठार	9.8258		
551	13.3951	गे.मु.पठार	13.3951		
552	8.6279	गे.मु.पठार	8.6279		
553	10.8698	गे.मु.पठार	10.8698		
554	9.0326	गे.मु.पठार	9.0326		
555	0.2914	गे.मु.रास्ता	0.2914		
556	16.2036	गे.मु.पठार	16.2036		
557	10.8860	गे.मु.पठार	10.8860		
558	9.3563	गे.मु.पठार	9.3563		
559	2.8166	गे.मु.पठार	2.8166		
560	12.9580	गे.मु.पठार	12.9580		
561	14.5768	गे.मु.पठार	14.5768		
567	0.1619	गे.मु.रास्ता	0.1619		
568	1.0360	गे.मु.पठार	1.0360		
569	0.1133	गे.मु.रास्ता	0.1133		
571	10.8132	गे.मु.पठार	10.8132		
572	12.6990	गे.मु.पठार	12.6990		
731/225	6.8635	गे.मु.पठार	6.8635		
733/229	1.4326	गे.मु.पठार	1.4326		
736/230	0.8660	गे.मु.पठार	0.8660		
762/314	0.2428	गे.मु.रास्ता	0.2428		
846/544	11.9706	गे.मु.पठार	11.9706		
848/546	0.2185	गे.मु.रास्ता	0.2185		
852/548	1.5297	गे.मु.	1.5297		
854/549	11.9463	गे.मु.पठार	11.9463		
858/550	17.9195	गे.मु.पठार	17.9195		
858/565	0.2752	गे.मु.रास्ता	0.2752		
860/570	15.0057	गे.मु.पठार	15.0057		
कुल खंभर - 30	234.1429		234.1429		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में माफ़ी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

सकल जारी करने की तिथि :- 3-Dec-2021

Signature

Signature
दिमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय दिमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-28 (सी)
(दिविधिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- केयूदा
पटवार हल्का :- केयूदा
भू.अभि.नि. :- वल्लोप
तहसील :- तालेंडा
जिला :- बूँदी

अंतिम जमाबन्दी आधार सन्वत् :- 2076 - 2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाना संख्या नया :- 291
खाना संख्या पुराना :- 268



विमानपत्तन निर्देशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota



जमाबन्दी (खेयट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- रामपुरिया

अंतिम खोजका अधार संख्या - 2076 - 2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में
स्थापी

पटवार हल्का :- जाधमपुर

भूमि धारक का नाम :- राज, रामचंद्र

शु. अ. वि. नि. :- बल्लोप

क्षेत्रफल की इकाई :- हेक्टर में

नगरमीन :- नालेंडा

खाता संख्या नया :- 81

जिला :- बूंदी

पाना संख्या पुराना :- 1

नाशतकार का नाम:-

1. नगर विकास न्याय बोर्ड रिजमा- पूर्ण मस्य के लिए अ. वि. न. - ए. न. 272, 274.

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	पुस्तक द्वारा सदन नमान	निर्धार के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
105	1.6673	गे.मु.पठार	1.6673			
107	0.0647	गे.मु.पठार	0.0647			
109	2.0639	गे.मु.पठार	2.0639			
111	1.6997	गे.मु.पठार	1.6997			
115	0.2266	तीर खातनी	0.2266	0.45		
125	0.1781	गे.मु.रास्ता	0.1781			
126	0.8498	गे.मु.पठार	0.8498			
127	0.3480	गे.मु.रास्ता	0.3480			
128	1.9182	गे.मु.पठार	1.9182			
129	0.1376	गे.मु.रास्ता	0.1376			
130	1.0684	गे.मु.पठार	1.0684			
131	0.9955	गे.मु.नाला	0.9955			
133	0.0567	गे.मु.रास्ता	0.0567			
134	0.2266	गे.मु.पठार	0.2266			
135	0.0405	गे.मु.रास्ता	0.0405			
136	13.1846	गे.मु.पठार	13.1846			
139	0.1214	गे.मु.नाला	0.1214			
140	0.1862	गे.मु.नाला	0.1862			
142	3.7879	गे.मु.नाला	3.7879			
145	0.1619	गे.मु.नाला	0.1619			
150	0.1619	गे.मु.पठार	0.1619			
152	0.2833	गे.मु.पठार	0.2833			
153	0.2185	गे.मु.पठार	0.2185			
155	0.3642	गे.मु.पठार	0.3642			
156	0.0647	बंजड़	0.0647	0.03		
157	0.0243	बंजड़	0.0243	0.01		
159	0.0243	तीर खातनी	0.0243	0.05		
160	0.0081	तीर खातनी	0.0081	0.02		
161	0.0243	तीर खातनी	0.0243	0.05		
164	0.1133	गे.मु.पठार	0.1133			
166	2.4929	गे.मु.पठार	2.4929			
170	0.0324	गे.मु.पठार	0.0324			
172	0.2995	गे.मु.पठार	0.2995			

Jay

Narinder

विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(द्विचिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- रामपुरिया

अंतिम चोगला आधार सम्बन्ध :- 2076 - 2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में
स्थायी

पटवार हल्का :- जाधमपुर

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

भू.अभि.नि. :- बन्नीप

क्षेत्रफल की इकाई :- हेक्टर

तहसील :- तालेडा

खाता संख्या नया :- 81

जिला :- बूंदी

खाता संख्या पुराना :- 1

173	0.4613	गे.मु.पठार	0.4613	
175	0.0971	गे.मु.पठार	0.0971	
177	0.1862	गे.मु.पठार	0.1862	
180	0.1781	बंजड़	0.1781	0.07
181	0.4694	गे.मु.नाला	0.4694	
184	1.1655	गे.मु.नाला	1.1655	
187	0.2185	गे.मु.नाला	0.2185	
190	0.0486	गे.मु.नाला	0.0486	
192	0.7042	गे.मु.नाला	0.7042	
194/336	0.1295	वारानी 3	0.1295	0.06
195	0.0243	गे.मु.पाल	0.0243	
197	0.0162	गे.मु.पुल	0.0162	
210	0.2914	नीर घातकी	0.2914	0.58
222	1.1979	गे.मु.पठार	1.1979	
222/337	0.2590	वारानी 3	0.2590	0.13
223	0.2509	वारानी 3	0.2509	0.13
224	3.9659	गे.मु.पठार	3.9659	
226	0.2023	गे.मु.पठार	0.2023	
229	10.6027	गे.मु.पठार	10.6027	
230	0.4047	गे.मु.पठार	0.4047	
234	3.4803	गे.मु.पठार	3.4803	
240	0.0324	गे.मु.पठार	0.0324	
241	0.2266	वारानी 3	0.2266	0.11
243	0.4047	वारानी 3	0.4047	0.20
245	0.4856	गे.मु.आवादी	0.4856	
250	0.0971	गे.मु.रास्ता	0.0971	
258	1.1250	गे.मु.रास्ता	1.1250	
26	52.3743	परगाह	52.3743	
266	2.1205	गे.मु.खान	2.1205	
282	0.2347	बंजड़	0.2347	0.09
284	0.2266	गे.मु.भमशान	0.2266	
285	6.7259	गे.मु.नाला	6.7259	
286	0.0243	गे.मु.नाला	0.0243	
288	4.2087	गे.मु.पठार	4.2087	
290	0.2428	गे.मु.पठार	0.2428	
295	0.1700	गे.मु.पठार	0.1700	
297	0.3561	गे.मु.नाला	0.3561	

Ray

Wakul
विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota



जमावन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- रामपुरिया

अंतिम चौमका आधार संवत् :- 2076 - 2076 जमावन्दी 2076 (वर्ष 2019) से
न्यायी

परिवार क्रमांक :- जाखमपुर

भूमि धारक का नाम :- राज, सरकार

भू.अभि.नि. :- बन्सगाँव

क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टर

तहसील :- तालिहा

खारता संख्या नया :- 81

जिला :- बुंदेलखंड

खाता संख्या पुराना :- 1

298	0.5099	गे.मु.पठार	0.5099	
301	0.3723	गे.मु.पठार	0.3723	
302	0.1619	बंजर	0.1619	0.06
303	0.0647	बंजर	0.0647	0.03
309	0.1942	गे.मु.नाला	0.1942	
31	0.6151	गे.मु.रास्ता	0.6151	
312	0.9308	बाराणी 3	0.9308	0.47
342/75	0.4632	गे.मु.पठार	0.4632	
350/103	16.0579	गे.मु.पठार	16.0579	
356/162	0.2995	गे.मु.पठार	0.2995	
358/194	9.5748	गे.मु.पठार	9.5748	
36	1.4083	गे.मु.पठार	1.4083	
370/244	1.0522	गे.मु.पठार	1.0522	
376/266	77.3110	गे.मु.पठार	77.3110	
379/258	10.6351	गे.मु.पठार	10.6351	
382/29	0.6151	गे.मु.पठार	0.6151	
384/33	1.8616	गे.मु.पठार	1.8616	
386/52	2.6952	गे.मु.पठार	2.6952	
390/252	18.1137	गे.मु.पठार	18.1137	
392/254	0.0567	गे.मु.पठार	0.0567	
394/313	1.5297	गे.मु.पठार	1.5297	
396/315	0.2509	गे.मु.पठार	0.2509	
398/293	6.7097	गे.मु.पठार	6.7097	
400/283	6.4911	गे.मु.पठार	6.4911	
402/344	21.9420	गे.मु.पठार	21.9420	
404/354	12.8042	गे.मु.पठार	12.8042	
406/281	3.9740	गे.मु.पठार	3.9740	
408/30	0.0324	गे.मु.रास्ता	0.0324	
41	3.8040	गे.मु.आवादी	3.8040	
414/265	0.4371	गे.मु.रास्ता	0.4371	
416/289	0.8903	गे.मु.रास्ता	0.8903	
42	0.5504	गे.मु.पठार	0.5504	
420/287	1.6430	गे.मु.नाला	1.6430	
422/319	0.5504	गे.मु.नाला	0.5504	
423/340	44.3778	गे.मु.पठार	44.3778	
425/338	67.0806	गे.मु.पठार	67.0806	
427/388	9.6315	गे.मु.पठार	9.6315	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature
विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- रामपुरिया

अंतिम नोमाला आधार संवत् :- 2076 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से
म्यारी

पटवार हल्का :- जाखमण्ड

भूमि धारक का नाम :- राज, सरकार

भू.अधि.नि. :- बन्नाप

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- तानेडा

खाता संख्या नया :- 81

जिला :- वृंदा

खाता संख्या पुराना :- 1

429/372	17.7171	गे.मु.पठार	17.7171	
431/418	2.3957	गे.मु.नाला	2.3957	
433/412	0.0890	गे.मु.रास्ता	0.0890	
435/410	0.1214	गे.मु.रास्ता	0.1214	
446/340	27.1948	गे.मु.पठार	27.1948	
54	0.2023	बासानी 3	0.2023	0.10
56	2.4686	गे.मु.पठार	2.4686	
59	5.0181	गे.मु.पठार	5.0181	
63	13.6136	गे.मु.पठार	13.6136	
64	0.1619	गे.मु.पठार	0.1619	
65	0.2023	गे.मु.पठार	0.2023	
70	0.1619	गे.मु.पठार	0.1619	
74	0.4937	नीर खातली	0.4937	0.99
खाता की टुकड़ी				
77	0.3076	गे.मु.पठार	0.3076	
78	0.0162	गे.मु.मकान	0.0162	
79	1.1493	गे.मु.पठार	1.1493	
84	0.0971	गे.मु.पठार	0.0971	
87	0.2671	गे.मु.नाला	0.2671	
89	0.2104	गे.मु.नाला	0.2104	
93	0.0324	गे.मु.चाह	0.0324	
97	0.1214	गे.मु.नाला	0.1214	

कुल खमदे - 128 524.2288 524.2288 3.6300

यह प्रपत्र केवल शर्धी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में शर्धी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 3-Dec-2021



Sakshra
विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा एवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota

Sax



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(विधिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- तुलसी
पटवार हल्का :- जाखमपुर
भू.अभि.नि. :- चल्नोप
तहसील :- तानेडा
जिला :- बुंदेली

अंतिम पोसना आधार संख्यन :- 2076 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सर्वकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 67
खाना संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. नगर बिकाम न्याम कोटा हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए.

खमरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त नगान	निर्धारित भे: माधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
100 रास्ता	0.4290	गे.सु.रास्ता	0.4290			
101	0.0324	बंजड़	0.0324			
114	0.5261	बंजड़	0.5261			
119 पाल	0.1700	गे.सु.पाल	0.1700			
128	0.0971	बंजड़	0.0971			
135	0.1942	बंजड़	0.1942			
136 वावड़ी	0.0243	गे.सु.वावड़ी	0.0243			
137	0.0081	गे.सु.वाडा	0.0081			
138	0.4209	बंजड़	0.4209			
143	0.0162	बंजड़	0.0162			
144	0.0243	बंजड़	0.0243			
146	0.0162	बंजड़	0.0162			
148	0.0890	बंजड़	0.0890			
150	0.0405	बंजड़	0.0405			
159 पाल	0.0405	गे.सु.पाल	0.0405			
160 खानी	0.1781	गे.सु.खानी	0.1781			
163 खरडा	0.0081	गे.सु.वावड़ी	0.0081			
167 रास्ता	0.0405	गे.सु.रास्ता	0.0405			
168 खानी	0.0890	गे.सु.खानी	0.0890			
172	0.2590	बंजड़	0.2590			
173	0.0324	बंजड़	0.0324			
174	1.5135	बंजड़	1.5135			
175 सवान	0.0243	गे.सु.शमशान	0.0243			
176 चरागाह	7.5190	चरागाह	7.5190			
176/283	0.3804	चरागाह	0.3804			

Sareendra

विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा एअरपोर्ट अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota

Ray



जमावन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- तुलसी
पटवार हल्का :- जाग्रमूण्ड
भू.अधि.नि. :- वल्लोप
तहसील :- तालेडा
जिला :- बूँदी

अंतिम चोगला आधार नम्बर :- 2076 - 2076 जमावन्दी 2076 (वर्ष 2019) में स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज, मरठार
क्षेत्रफल की ईकाई :- ईकड़कर
खाना संख्यां नया :- 67
घरता मरुवा पुराना :- 1

176/264	0.2347	चरागाह	0.2347	
"				
176/265	0.0081	चरागाह	0.0081	
"				
176/266	1.2545	चरागाह	1.2545	
176/267	0.4452	चरागाह	0.4452	
"				
177	0.2266	गे.मु.गम्ता	0.2266	
गम्ता				
178	0.3561	बंजड़	0.3561	
बंजड़				
182	1.2302	गे.मु.बावादी	1.2302	
आवादी				
187	0.1781	बंजड़	0.1781	
191	2.7680	गे.मु.पठार	2.7680	
192	2.7600	गे.मु.पठार	2.7600	
200	0.1619	बंजड़	0.1619	
चवुतरा				
229	2.0963	चरागाह	2.0963	
"				
231	5.4471	चरागाह	5.4471	
232	8.3770	चरागाह	8.3770	
"				
271/62	0.0162	वानानी 3	0.0162	0.01
277/67	1.8535	बंजड़	1.8535	
279/68	1.0522	गे.मु.पठार	1.0522	
281/69	0.5827	गे.मु.पठार	0.5827	
283/70	0.0728	गे.मु.गम्ता	0.0728	
285/71	1.5702	चरागाह	1.5702	
289/74	0.8337	बंजड़	0.8337	
295/193	0.1214	गे.मु.पठार	0.1214	
297/194	5.0586	गे.मु.पठार	5.0586	
299/195	0.1700	गे.मु.पठार	0.1700	
301/205	0.0081	गे.मु.पठार	0.0081	
303/213	0.0162	गे.मु.गम्ता	0.0162	
305/224	0.6961	गे.मु.पठार	0.6961	
307/225	0.7203	गे.मु.पठार	0.7203	
309/226	0.4371	गे.मु.गम्ता	0.4371	
311/230	3.5612	गे.मु.पठार	3.5612	
313/235	1.6997	गे.मु.पठार	1.6997	

20/11/19


विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-25 (बी)
(द्वितीय नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- तुलसी

पदवार हल्का :- जाधूमण्ड

भू.अभि.नि. :- बंल्लोप

नहमीन :- तालेडा

जिल्हा :- बूंदी

अंतिम चोसना आधार मस्यत :- 2076 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) में क्वाकी

भूमि धारक का नाम :- राज,परवतार

क्षेत्रफल की रिकार्ड :- हेक्टेयर

खाना संख्या नया :- 67

खाता संख्या पुराना :- 1

315/258	0.6475	बाराणी 3	0.6475	0.52
317/287	6.7178	ने.मु.पठार	6.7178	
318/287	2.4767	चरागाह	2.4767	
320/227	4.3301	चरागाह	4.3301	
322/228	3.7879	चरागाह	3.7879	
353/229	1.4569	चरागाह	1.4569	
355/170	0.3318	बंजण	0.3318	
39	0.4856	ने.मु.नाला	0.4856	
नाला				
41	0.0243	ने.मु.घात	0.0243	
घात				
43	0.1052	ने.मु.नाला	0.1052	
नाला				
47	0.3076	ने.मु.नाला	0.3076	
घात				
58	0.0971	ने.मु.तलाई	0.0971	
भैसा तलाई				
58/262	0.0081	ने.मु.चाह	0.0081	
61	0.1619	ने.मु.नाली	0.1619	
नाली				
74/260	0.2833	बाराणी 3	0.2833	0.23
75	0.0324	ने.मु.धमथाल	0.0324	
मसाल				
76	0.1295	ने.मु.तलाई	0.1295	
तलाई				
77	0.0405	ने.मु.तलाई	0.0405	
"				
78	0.1214	ने.मु.गम्ना	0.1214	
गम्ना				
84/281	0.0081	ने.मु.चाह	0.0081	
कुल खमर - 76	77.7406		77.7406	0.7600

यह प्रपत्र बैचल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में राक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

तमल जारी करने की तिथि :- 3-Dec-2021



Jay

Sarada
विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota



जमाबन्दी (खेचट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

फॉर्म पी-26 (सी)
(विधिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कुलनी
पटवार संख्या :- जायसुप
सू.अभि.नि. :- इन्फोस
सहस्रीस :- तालेडा
जिला :- कुंरी

अंतिम खेचटा आधात संख्या :- 2076 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) में खेचटा
भूमि धारक का नाम :- राज,राजकार
खेचटा की ईकाई :- हेक्टेयर
घाता संख्या संख्या :- 69
घाता संख्या पुराना :- 59

कायदाकार का नाम :-

1. महकमा जमनात हिस्सा- पूर्ण संख्या के लिए.

खमरा संख्या	खेचटा	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संवत् संख्या	विचार्ड के साइज	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित साधारणकरण संख्या व दिनांक	दिनांक
196	7.6243	वे.सू.पटार	7.6243			
"						
197	7.7700	वे.सू.पटार	7.7700			
"						
198	7.9966	वे.सू.पटार	7.9966			
"						
199	7.7700	वे.सू.पटार	7.7700			
"						
201	6.1188	वे.सू.पटार	6.1188			
"						
202	6.5235	वे.सू.पटार	6.5235			
203	0.6556	वे.सू.पटार	0.6556			
204	0.1214	वे.सू.पटार	0.1214			
206	5.5685	वे.सू.पटार	5.5685			
वर्डी						
207	3.3103	वे.सू.पटार	3.3103			
"						
208	8.3608	वे.सू.पटार	8.3608			
"						
209	15.6047	वे.सू.पटार	15.6047			
"						
210	0.1295	वे.सू.पटार	0.1295			
"						
211	0.8903	वे.सू.पटार	0.8903			
"						
212	0.2509	वे.सू.पटार	0.2509			
पटार						
214	7.3329	वे.सू.पटार	7.3329			
वर्डी						
215	5.7465	वे.सू.पटार	5.7465			
"						
216	7.7133	वे.सू.पटार	7.7133			
"						
217	4.6134	वे.सू.पटार	4.6134			
"						
218	6.5397	वे.सू.पटार	6.5397			
"						

(Signature)
 विमानपत्तन निदेशक
 Airport Director
 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
 Airports Authority of India
 जे.ए.ई. जे.ए.ई. जे.ए.ई.
 J. A. I. Airport, KOD

(Signature)



जमावन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(द्विचित्रिते नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- तुलसी
पटवार हस्ता :- जाधवमण्ड
शु. अभि. नि. :- बल्लोप
तहसील :- तालेन्द्रा
जिला :- बुंदी

अंतिम चौकिया आधार संवत् :- 2076 - 2076 जमावन्दी 2076 (वर्ष 2019) में स्थानी
भूमि धारक का नाम :- राज. नरकाश
क्षेत्रफल की रिकार्ड :- इन्स्ट्रुमेंट
खाना संख्या नया :- 69
खाना संख्या पुराना :- 59

218	10.5704	गे.सु.पटार	10.5704
"			
220	9.2025	गे.सु.पटार	9.2025
"			
221	10.1819	गे.सु.पटार	10.1819
"			
222	9.4615	गे.सु.पटार	9.4615
"			
223	7.8266	गे.सु.पटार	7.8266
233	6.1431	गे.सु.पटार	6.1431
234	6.0298	गे.सु.पटार	6.0298
बडों			
236	7.6890	गे.सु.पटार	7.6890
बडों			
237	8.3770	गे.सु.पटार	8.3770
बडों			
238	0.0405	गे.सु.पाल	0.0405
पाल			
239	0.2833	गे.सु.तलाई	0.2833
तलाई			
240	4.3787	गे.सु.पटार	4.3787
बडों			
241	8.9193	गे.सु.पटार	8.9193
242	4.5729	गे.सु.पटार	4.5729
बडों			
243	7.6485	गे.सु.पटार	7.6485
"			
244	6.2402	गे.सु.पटार	6.2402
"			
245	7.4867	गे.सु.पटार	7.4867
"			
246	6.8877	गे.सु.पटार	6.8877
"			
247	5.7708	गे.सु.पटार	5.7708
"			
248	5.4066	गे.सु.पटार	5.4066
"			
249	6.3778	गे.सु.पटार	6.3778
250	9.8015	गे.सु.पटार	9.8015
"			

Sardar
विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
कोटा हवाई अड्डा कोटा
Kota Airport, Kota

Ray



जमावन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देशिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- तुलसी
पटवार हल्का :- जाधवपुर
म.अधि.नि. :- बाल्मोय
तहसील :- बालेडा
जिला :- बुंदी

अंतिम बांझना आधार संवत् :- 2076 - 2076 जमावन्दी 2076 (वर्ष 2019) में स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राध.भगवान
क्षेत्रफल की इकाई :- हेक्टर
घाता संख्या नया :- 69
घाता संख्या पुराना :- 59

251	6.8311	गे.म.पटार	6.8311	
252	0.2347	गे.म.रास्ता	0.2347	
275/66	0.0162	बारानी 3	0.0162	0.01
278/67	4.5487	बंजडा	4.5487	
280/68	9.0973	गे.म.पटार	9.0973	
282/69	5.2204	गे.म.पटार	5.2204	
284/70	0.5747	गे.म.रास्ता	0.5747	
286/71	2.2662	गे.म.पटार	2.2662	
288/72	0.4532	गे.म.पटार	0.4532	
296/193	4.2735	गे.म.पटार	4.2735	
298/194	2.0234	गे.म.पटार	2.0234	
300/195	7.9886	गे.म.पटार	7.9886	
302/205	7.1467	गे.म.पटार	7.1467	
304/213	0.8579	गे.म.रास्ता	0.8579	
308/224	8.4579	गे.म.पटार	8.4579	
308/225	2.2086	गे.म.पटार	2.2086	
310/226	0.3723	गे.म.रास्ता	0.3723	
312/230	2.4524	गे.म.पटार	2.4524	
314/235	5.5927	गे.म.पटार	5.5927	
316/258	0.0809	बारानी 3	0.0809	0.06
67/257	1.7159	बारानी 3	1.7159	1.37
कुल घनरे - 63	332.3515		332.3515	1.4400

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 3-Dec-2021



Sardar
विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
शान्ता हवाई अड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota

Sardar

Full Title of the Project: "Diversion of 466.5920 ha. Forest land for Construction of New Green Field Airport Kota, District- Bundi in the State of Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/Others/150590/2021

Date of Proposal: 28/12/2021


Forest Land Proposed for Diversion: 466.5920 Hectare

UNDERTAKING TO PRESERVE THE POND

Airport Authority of India Kota, Rajasthan, the User Agency is hereby undertake that, we have applied for diversion of 466.5920 ha. of forest area for the purpose "Construction of New Green Field Airport Kota, District- Bundi in the State of Rajasthan" but Small pond is falling in the forest land proposed for diversion which will be preserve by User Agency and Plantation will be done around the area at our own cost.

Place : Kota

Date: 11.07.2022


Signature of User Agency
Director
Airports Authority of India
कोटा हवाईअड्डा, कोटा
Kota Airport, Kota


Counter signatory
Divisional Forests Officer
Bundi Forest Division
Office Seal _____

PART - I & II
(To be filled up by User Agency)

A. General Details**A-1. Project Details**

(I). Forest Clearance Required?: Yes

(a). Forests Clearance Type : Fresh

(II). Proposal No. : FPRJ/Others/150590/2021

(III). Name of Project: Diversion of 466.592 ha. Forest land for Construction of New Green Field Airport Kota, District- Bundi in the State of Rajasthan

(iv). Short narrative of the Project : Construction of New Green Field Airport Kota, District- Bundi in the State of Rajasthan.

(v). State : Rajasthan

(vi). Category of the Project : Others

(vii). Shape of project land : Non Linear

(viii). Distance of the project from the boundary of the Protected Area (in km.): 7.35

(ix). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 120000

(x). Total period for which clearance is required (in year): 99

(xi). Total Project Area(in ha.): 500

(xii). Area of Forest Land required for this Project(in ha.): 466.592

(xiii). Non-Forest Land required for this Project (in ha.): 33.408

(xiv). Forest Land within Protected Area(in ha.): 0

(xv). Non-forest Land within Protected Area (in ha.): 0

(xvi). Project Area under Protected Area(in ha.): 0

Sardar

APPROVED
FOR THE
GOVERNMENT OF INDIA
SECRETARY
KOTA AIRPORT, KOTA

Sd/-
(T. Mohan Raj)
DIF, Bundi

(xiv). Project Area inside Wildlife Sanctuaries(In ha.): 0

(xv). Project Area outside Wildlife Sanctuaries(In ha.): 500

(xvi). Project Area inside Conservation Reserve(In ha.): 0

(xvii). Project Area outside Conservation Reserve(In ha.): 0

(xviii). Project Area inside National Park(In ha.): 0

(xix). Project Area outside National Park(In ha.): 0

(xx). Project Area inside Ecologically Sensitive Zone(In ha.): 0

(xxi). Project Area outside Ecologically Sensitive Zone(In ha.): 0

A-2. Details of User Agency

(i). Name : AIRPORT AUTHORITY OF INDIA KOTA

(ii). Address1 : Airport Authority of India, Kota airport

(iii). Address2 : Rajasthan

(iv). State : Rajasthan

(v). District : Kota

(vi). Pin : 324037

(vii). Landmark : NIL

(viii). Email address : aiakota@aai.aero

(ix). Landline Telephone No. : NIL

(x). Fax No. : NIL

(xi). Mobile No. : 9928588744

(xii). Website (if any) : www.aai.aero

(xiii). Legal status of User Agency : Central Government

A-3. Details of Person Making Application

Signature

Director
Airport Authority of India
KOTA AIRPORT, KOTA

Signature
(T. Mohan Raj)
DCF, Bundi

(ii). Middle Name: Kumar

(iii). Last Name: Meena

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Director

(vi). Address 1: Airport Authority of India

(vii). Address 2: Kota Airport

(viii). State: Rajasthan

(ix). District: Kota

(x). Pin: 324007

(xi). Landmark: NIL

(xii). Email Address: oickota@aai.acro

(xiii). Landline Telephone No.: NIL

(xiv). Fax No.: NIL

(xv). Mobile No.: 9928588744

(xvi). Upload a copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: Annexure copy of documents in support of the competence

B. Details of Land required for the Project

B-1. Details of Protected Area

B-1.1 No. of Divisions involved in Protected Area

Division wise details of land			
S.no	Division Name	Protected Area Name	Project Area under Protected Area
1.	DCF Chambal Sanctuary Sawalmadhopur	National Chambal Sanctuary	0

B-1.2 Details of Districts involved

Sahedra

Stamp: AIRPORT AUTHORITY OF INDIA, KOTA AIRPORT, RAJASTHAN

Taj:
(T. Moham Raj)
DCF, Bundi

VEHICLE WISE BREAKUP

S.no	District Name	Project Area under Protected Area(ha.)	Project Area under Non-Protected Area(ha.)
------	---------------	--	--

B-1.3 Component wise breakup

Component wise breakup

S.no	Component	Project Area under Protected Area(ha.)	Project Area under Non-Protected Area(ha.)
1	Construction of Kota Airport	0	500

C. Maps of protected area

Division 1 : DCF Chumbal Sanctuary Sawaimadhopur

(i). Project Area under Protected Area (in ha.) : NIL

(ii). Nature of the Project : Non Linear

(a). No. of patches : One

Patch wise details		
Patch No.	Area of Patch(in ha.)	Kml File of Patches
1.	0	 View File

(iv). copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of protected area: Annexure Survey of India Toposheet

(v). scanned copy of the Geo-referenced map of the protected area prepared by using DGPS or Total Station: Annexure scanned copy of the Geo-referenced map

D. Justification for locating the Project in protected area and details of alternates examined :

(i). copy of note containing justification for locating the Project in protected area: Annexure Justification

E. Employment likely to be generated

(i). Whether project is likely to generate employment?: Yes

(a). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 120

(b). Temporary Employment(Number of person-days): 10000

F. Displacement of People due to the project, if any

(i). Whether project involve displacement?: No

G. Status of Environmental clearance

Handwritten signature

Official stamp of DCF, Kota Airport, Kota

Jay
 (T. Mohan Raj)
 DCF, Bundi

(I). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 : : No

(a). Status of the Environmental Clearance to the Project : EC application yet to be submitted

H. Whether proposal is for investigation/survey.

(H-1). Whether proposal is for investigation/survey? : No

(H-2). Details of the Bio diversity Impact Assessment report in case the proposal involves use of more than 2). 50 ha. NP/WLS.

(a). Copy of the Bio diversity Impact Assessment report: Annexure Copy of Bio diversity Impact Assessment report

(H-3). Information on the projects undertaken by the proponent agency in the past in Protected Areas

(a). Upload file: Annexure Information on the projects undertaken by the proponent agency in the past in Protected Areas

(H-4). Details regarding compliance of the conditions on each proposal

(a). Upload file: Annexure Details regarding compliance of the conditions on each proposal

(H-5). Whether any matter related to the project is sub judice in any court of law?: No

Documents		
S.No	Uploaded Additional Info. Files	Remarks
1	<u>Additional Info.</u>	JUSTIFICATION FOR LOCATING PROJECT IN ESZ AREA.
2	<u>Additional Info.</u>	Annexure 1 Details regarding compliance of the conditions.
3	<u>Additional Info.</u>	Area Calculation Sheet.
4	<u>Additional Info.</u>	Digital Map.
5	<u>Additional Info.</u>	Toposheet Map.
6	<u>Additional Info.</u>	UNDERTAKING FOR CONSERVATION OF FLORA FAUNA.
7	<u>Additional Info.</u>	UNDERTAKING FOR NO OTHER FEASIBLE ALTERNATIVE.
8	<u>Additional Info.</u>	UNDERTAKING FOR PAYMENT OF ANY OTHER COST AND CONDITION.
9	<u>Additional Info.</u>	Undertaking for No Use of Any Material From Forest Land or Sanctuary Area.

Print page

Sachin
OFFICE OF THE
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI - 110002
KOTA

Sajja
(*T. Mohan Raj*)
DCF, Bundi



कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/4303

दिनांक : 11.7.2022

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

विषय : Diversion of 466.592 ha. Forest land for Construction of New Green Field Airport kota, District-Bundi in the state of Rajasthan . (Proposal No.FP/RJ/Others/150590/2021)

संदर्भ : आपका ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 23.06.2022 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 23.06.2022 के संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली के पत्रांक 8-05/2022-एफसी दिनांक 17.06.2022 से चाही गयी बिन्दुओं की सूचना उप वन संरक्षक बून्दी ने पत्रांक 5521 दिनांक 11.07.2022 से बिन्दुवार पालना रिपोर्ट तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत की है, जो कि निम्नानुसार है :-

S. No.	EDS raised by MoEF&CC New Delhi	Reply
1.	It has been informed that a High tension line of PGCIL is passing through the forest land proposed for diversion. In this regard, the status of approval under FCA, 1980 for the transmission line has not been intimated.	According to DCF Bundi, user agency PGCIL has received the prior approval from MoEF&CC for said transmission line under FCA, 1980. Copy of the Stage- I & II are enclosed. (Annex.-I)
2.	The No objection certificate (NoC) from PGCIL for shifting of Transmission line has not been submitted.	According to DCF Bundi, user agency has submitted No objection certificate from the PGCIL. Copy of the NoC is enclosed. (Annex.-II)
3.	In case the Power Grid Corporation of India Limited is ready to shift the transmission line, then the plan for shifting the existing transmission line is required to be submitted. The State Govt may also clarify whether any forest land would be required for the shifting of the transmission line or not?	According to User Agency 1. Power Grid Corporation of India Limited is ready to shift the transmission line and the Shifting plan has been prepared. Copy of the shifting plan are enclosed. (Annex.-III) 2. Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID) has prepared the shifting plan and forest land will be utilise for the proposed transmission line. 3. Separate Forest diversion proposal under FCA, 1980 will be initiated by PGCIL for Construction of Proposed Transmission Line (only for Shifting Portion) Demand letter of PGCIL for submission of forest diversion proposal is enclosed. This demand raised by PGCIL includes the cost.

		of diversion of the said land. (Annex.-IV)
4.	The state govt has submitted the ownership status of the 33.408 hectare land, however nothing has been stated about the legal status of the land. The state govt shall ensure that the 33.08 area is not covered under the definition of forest for the purpose of FCA,1980.	According to DCF Bundi, The Ownership of 33.408 ha land is recorded in the name of Urban Improvement Trust, Kota. A copy of the Jamabandi indicating the classification of land is attached . It is also confirmed that above mentioned land is not comes under any notified deemed forest (Annex.-V)
5.	In case the digital boundary of forest land is not correct, the state government shall ensure to get the same corrected and provide corrected boundaries to the FSI. An undertaking in this regard may be submitted.	According to DCF Bundi, Based on the available division digital Map the digital boundary of forest land is correct. This is also verified by undersigned.
6.	A small pond is located near the Kota-Bundi National Highway it was informed that it will be preserved as such by the user agency and plantation shall be done around the pond area. In this regard the copy of the undertaking from the User Agency may be submitted.	According to DCF Bundi, User Agency has given undertaking to preserve small pond and do plantation around the pond by own cost. (Annex.-VI)
7	The Chief Wildlife warden of Rajasthan has informed that the areas proposed for diversion fall with in 7.2 km of Chambal Gharial Sanctuary. Since the ESZ of this sanctuary has not been notified, therefore the NBWL Clearance is applicable. Accordingly State Government shall ensure that the necessary clearance is obtained by the user agency.	According to DCF Bundi, User Agency informed that they have submitted online application for wildlife clearance under wildlife protection Act, 1972 and proposal is pending with State board of Wildlife (SBWL). Copy of the application are enclosed. (Annex.-VII)

अतः उप वन संरक्षक बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मनोज प्राराशर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/4304

दिनांक : 11.7.2022

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, बून्दी को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा